न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश::

क्रमांकः- 22/अ-19(3)/2017-18/ 2795 बैतूल दिनांक 20/3/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक- 03/पंग्रावि/2018 दिनांक 6-01-2018 द्वारा टेक होम राशन ईकाई निर्मित करने हेतु कम से कम एक एकड़ भूमि का चयन करके पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नाम से आवंटित करने हेतु निर्देशित किया गया है। शासन के उक्त निर्देश के अनुक्रम में जिला परियोजना प्रबंधक म0प्र0-डे-राज्य ग्रामीण मिशन जिला बैतूल के पत्र क्रमांक-1815/म. प्र. डे. रा. ग्रा. अ. मि./18, दिनांक 17-01-2018 द्वारा मौजा जामठी तहसील बैतूल स्थित खसरा 340/2 रकबा 3.000 हेक्टेयर में से 0.885 हेक्टेयर भूमि, म.प्र.डे.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एन. आर. एल. एम.) जिला बैतूल के लिए स्व सहायता समूहो द्वारा टेक होम राशन की ईकाई स्थापित करने हेतु आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त संबंध में तहसीलदार बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई हैः-

(1)- मौजा जामठी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 340/2 रकबा 3.000 हेक्टेयर भूमि म.प्र.शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग (जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी बैतूल) के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

(2)- जिला परियोजना प्रबंधक म0प्र0-डे-राज्य ग्रामीण मिश्न जिला बैतूल द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार, मौजा जामठी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 340/2 रकबा 3.000 हेक्टेयर में से 0.885 हेक्टेयर भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(3)- जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी बैतूल के पत्र क्रमांकः- 265/2018, दिनांक 24-1-2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त प्रश्नाधीन भूमि जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग को खेल मैदान निर्माण हेतु आवंटित की गई है, चूंकि विधान सभा अन्तर्गत विकासखण्ड आठनेर के ग्राम गुनखेड़ में खेल मैदान निर्मित हो चुका है, अतः ग्राम जामठी में आवंटित भूमि से स्व. सहायता समूह द्वारा टेक होम राशन ईकाई निर्मित करने हेतु चाही गई 0.885 भूमि आवंटित किए जाने में खेल विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

3- तहसीलदार बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर मौजा जामठी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 340/2 रकबा 3.000 हेक्टेयर में से 0.885 हेक्टेयर भूमि खेल एवं युवक कल्याण विभाग से वापस लेकर आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

4- कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश् क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा आदेश क्रमांकः- 1/2011/अधी./8670 दिनांक 4-8-2017 द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार -एक के अन्तर्गत शासकीय भूमि अंतरण संबंधी समस्त प्रकरणो के निराकरण हेतु अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि म.प्र.शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग (जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी बैतूल) के नाम से दर्ज होने के कारण सर्वप्रथम उक्त विभाग से भूमि वापस लेकर पूर्ववत् शासन (राजस्व विभाग) में निहित किया जाना आवश्यक है।

5- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक- एफ 6-7/2013/सात/2बी, दिनांक 13-2-2013 में यह प्रावधानित किया गया है कि,वर्तमान संदर्भ में कलेक्टर यह पाते है कि, किसी विभाग को आवंटित/आरक्षित भूमि आवश्यकता से अधिक है, अथवा उक्त विभाग को प्रश्नाधीन भूमि की आवश्यकता ही नही है तो संबंधित भूमि को संभागीय आयुक्त के अनुमोदन उपरांत राजस्व विभाग के पक्ष में वापस लेने का निर्णय ले सकते है।

6- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के परिपे्रक्ष्य में मौजा जामठी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 340/2 रकबा 3.000 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग (जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी बैतूल) से वापस लिए जाने के लिए, संभागीय आयुक्त महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया। आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के पत्र क्रमांकः-1837/राजस्व/2018 दिनांक 12-3-2018 द्वारा उक्त प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0 शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग (जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी बैतूल) से वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

7- अतएव तहसीलदार बैतूल/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के अभिमत व अनुशंसा तथा आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा प्रदत्त अनुमति के परिपे्रक्ष्य में मौजा जामठी प. ह. नं. 13 तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 340/2 रकबा 3.000 हेक्टेयर भूमि म0प्र0 शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग (जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी बैतूल) से वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जाकर, उसमे से 0.885 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) स्व सहायता समूहो के संगठनो द्वारा टेक होम राशन यूनिट स्थापित करने के प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निम्नानुसार शर्तो के अधीन हस्तांतरित की जाती हैः-

(1)- हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)- भूमि पर प्रस्तावित कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3)- शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4)- शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर,
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 22 /अ-19(3)/2017-18/ 2795 बैतूल दिनांक / /2018 20/3/2018

प्रतिलिपिः-

1- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ ।

2- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।

3- तहसीलदार बैतूल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। राजस्व अभिलेख मे यथाआवश्यक संशोधन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

4- जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ।

5- जिला परियोजना प्रबंधक, म0प्र0-डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बैतूल की ओर सूचनार्थ।

6- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

7- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर,
जिला-बैतूल